बिहार सरकार

# घरेलू हिंसा

## समस्या और समाधान

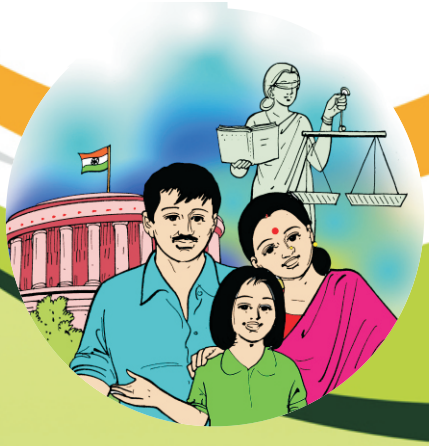

महिला विकास निगम, बिहार द्वारा जनहित में प्रकाशित

महिला हिंसा की घटनाओं और महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में गत दशक में निरन्तर वृद्धि हो रही है। एन.एफ.एच.एस.3 के अनुसार 15 से 49 साल की 40 प्रतिशत शादीशुदा महिलाएँ कम से कम एक बार घरेलू हिंसा की शिकार हुई है। एन.सी.आर.बी. के एक आंकड़े के अनुसार प्रत्येक 77 मिनट में एक दहेज हत्या, हर 3 मिनट में एक बलात्कार और 12 मिनट में एक यौनिक उत्पीड़न की घटना घट रही है। उपरोक्त स्थितियों से यह स्पष्ट है कि महिलाओं के साथ लगातार हिंसा हो रही है।

## घरेलू हिंसा क्या है?

घरेलू रिश्तों में किसी महिला के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, शरीर या खुशहाली पर चोट जैसे–मजाक, अपमान, अनादर, गाली–गलौज, मर्जी के बिना किसी प्रकार का यौन व्यवहार, दहेज या मूल्यावन वस्तु की गैर कानूनी मांग, मारपीट, चोट पहुंचाना, घर से निकालना, पैसा न देना, किसी से मिलने न देना आदि घरेलू हिंसा है।

## घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की कुछ खास बातें :

इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य परिवार के भीतर किसी भी प्रकार की हिंसा झेल रही महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों के प्रभावी संरक्षण की व्याख्या करना है। मूलतः यह दीवानी कानून है फौजदारी नही।

- यह तात्कालिक राहत पर केन्द्रित है अर्थात समयसीमा में राहत की बात करता है।
- एक ही कानून के अर्न्तगत कई प्रकार की राहतें जैसे संरक्षण, आवास, वित्तीय सहायता, अभिरक्षा, हर्जाना आदि उपलब्ध हो सकती है।
- इसमें घरेलू हिंसा व साझी गृहस्थी की परिभाषा को स्पष्ट एवं व्यापक रुप से अंकित किया गया है, जो अन्य कानूनों में शामिल नही है।
- इसका उपयोग कोई भी महिला (विवाहित, अविवाहित व एकल) कर सकती है।
- इसके तहत लड़कियाँ भी अपने भाई, माता पिता या जिनके साथ वो घरेलू रिश्तेदारी में रहती है, से अपने अधिकारों की मांग कर सकती है।
- इसमें महिला के सहयोग के लिए एक सहायक ढांचा है, जो समयबद्ध, तात्कालिक और संवेदनशील राहत लेने में मदद करेगा, जैसे संरक्षण अधिकारी व सेवा प्रदाता।

## इस अधिनियम से क्या राहत मिल सकती है?

**संरक्षण आदेश (धारा 18):** मजिस्ट्रेट महिला और प्रत्यर्थी को सुनवाई का एक अवसर दिये जाने के पश्चात् संरक्षण आदेश पारित कर सकेंगे। उक्त आदेश के अंतर्गत घरेलू हिंसा की रोकथाम, महिला के कार्यालय या बालिका के स्कूल में आने से, किसी भी प्रकार के सम्पर्क, सम्पत्ति हस्तान्तरण, लॉकर/खातों के संचालन आदि पर पाबंदी के विरूद्ध आदेश जारी किया जा सकता है।

**निवास आदेश (धारा 19):** साझी गृहस्थी में रहने का आदेश, महिला के रिश्तेदारों को आने जाने से रोकने पर पाबन्दी, मकान किराया नियमित देना, पुलिस/संरक्षण अधिकारी को निवास आदेश के अनुपालन के लिए निर्देश देना इत्यादि।

**धनीय सहायता आदेश (धारा 20):** मजिस्ट्रेट महिला के नुकसान की पूर्ति के लिए धनीय राहत आदेश दे सकेंगे। यह एक मुश्त अथवा मासिक दोनों प्रकार से हो सकती है। इसमें कमाई की हानि, चिकित्सा खर्च, सम्पति का नुकसान, नौकरी/रोजगार से हटाये जाने से हानि, भरण पोषण, अन्य कोई प्रदान किया जा सकता है। यह राहत पर्याप्त, उचित, युक्तिसंगत होगी।

**अभिरक्षा आदेश (धारा 21):** संतान की अस्थायी अभिरक्षा (कस्टडी) का आदेश। आवश्यक हो, तो बच्चों से अभिभावकों को मिलने को सुनिश्चित करने संबंधी आदेश।

**मुआवजा आदेश (धारा 22):** मानसिक, भावनात्मक संकट या पीड़ीता को की गई क्षति के लिए मुआवजा आदेश।

**नोट:** राज्य में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के निःशुल्क आश्रय हेतु जिला स्तर पर अल्पावास गृह संचालित है। साथ ही सामाजिक पुनर्वास कोष योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाओं को रू. 6,000 तक की आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करायी जाती है।

## राहत के लिए किससे सम्पर्क किया जा सकता है?

1. निकटतम थाना के पुलिस अधिकारी,
2. सेवा प्रदाता,
3. जिला स्तर पर संचालित महिला हेल्पलाईन/संरक्षण अधिकारी,
4. प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी।

इनके अलावा अपने पंचायत के मुखिया, सरपंच, स्वयं सहायता समूह की बहनों, पारा लीगल कार्यकर्ताओं, आँगनबाड़ी केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से भी मदद ली जा सकती है।

# अब मैं नहीं डरती

## क्योंकि मुझे मालूम है हेल्पलाईन नम्बर

# 181

## सुरक्षा और आत्मसम्मान के लिए

### हेल्पलाईन पर किस प्रकार की सहायता मिलेगी?

महिला हिंसा से संबंधित कोई भी शिकायत के निवारण में सहयोग के लिए सहायता मिलेगी।

### हेल्पलाईन पर संपर्क कैसे करें?

किसी भी फोन या मोबाईल से नि:शुल्क 181 डायल करें।

### क्या हेल्पलाईन पर संपर्क करने की कोई समय सीमा है?

कॉल करने का समय तत्काल सुबह 10 से शाम 6 बजे तक है, जिसे 24x7 किया जाना प्रस्तावित है।

Conceptualized, Designed & Printed by:
punament@gmail.com

UKaid from the British people

महिला विकास निगम, बिहार
समाज कल्याण विभाग

बिहार सरकार

**महिला विकास निगम, बिहार**
**समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार**
दूसरी मंजिल, इंदिरा भवन, आर. सी. सिंह पथ, बेली रोड, पटना–800 001 (बिहार)
दूरभाष : 0612–2534 096, 2520 695, 2537 843, वेबसाईट : www.wdcbihar.org